न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 573 सन 2018
अनवान :–

1. बिदामी पत्नी मदनलाल पुत्री बेगाराम जाति नायक निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रृगारी उर्फ सगारी देवी पत्नि सुलतान उर्फ सुलतानराम पुत्री बेगाराम जाति नायक निवासी वाड न0 3 रावतसर तसहील रावतसर।
2. धापी पत्नी फुलाराम पुत्री बेगाराम जाति नायक निवासी उदासर बडा तहसील नोहर
3. जीवनी उर्फ जीवणी पत्नी बनवारीराम पुत्री बेगाराम जाति नायक निवासी वार्ड न0 3 रावतसर तहसील रावतसर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31/12/18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 62/61 के खसरा न0 96 की 8.7640हैक व खसरा न0 134 की 4.4140हैक कुल 13.1780हैक भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बहिब दर्ज है जो विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की अनुसार आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है बाहमी बटवारा में वादीया के हिस्सा में खसरा न0 134 की 4.4140हैक व प्रतिवादी संख्या 1 श्रृगारी उर्फ सिगारी देवी के हिस्से में खसरा न0 96 के मिन उत्तर की 2.9213हैक भूमि व प्रतिवादीया संख्या 2 धापी के हिस्से खसरा न0 96 के मिन मध्य की 2.9213हैक भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 जीवणी के हिस्से में खसरा न0 96 मिन दक्षीण 2.913हिस्सा भूम आई है इसी अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि सयुक्त खाता में दर्ज है जिसके कारण वादी के हकों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों क समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 के नाम सें सयुक्त खाता में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने सहमति पेश की गई है कि सयुक्त खाता की भूमि में अपने हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो ऐतराज नही है व सहमति भी पेश की जा चुकी है सयुक्त खातेदार अपने हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार अपसी सहमति से खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की आपसी सहमति एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीया के हिस्सा में खसरा न0 134 की 4.4140हैक व प्रतिवादी संख्या 1 श्रृगारी उर्फ सिगारी देवी के हिस्से में खसरा न0 96 के मिन उत्तर की 2.9213हैक भूमि व प्रतिवादीया संख्या 2 धापी के हिस्से खसरा न0 96 के मिन मध्य की 2.9213हैक भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 जीवणी के हिस्से में खसरा न0 96 मिन दक्षीण 2.913हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official